सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.:सं. NCST-184/10/ATY-57/203/2021-RO-RNC   दिनांक: 21.06.2024

सेवा मे,

1 **श्री राजविंदर सिंह भट्टी**
पुलिस महानिदेशक,
बिहार
पुलिस मुख्यालय,
सरदार पटेल भवन, नेहरु मार्ग,
पटना, बिहार 800001
Email Id: dgp-bih@nic.in

2 **डॉ. चन्द्रशेखर सिंह,**
जिला पदाधिकारी,
जिला – पटना
कार्यालय जिला पदाधिकारी,
पटना, बिहार 800001
Email Id: dm-patna.bih@nic.in

3 **श्री राजीव मिश्रा**
वरीय पुलिस अधीक्षक,
जिला – पटना
वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय,
पटना, बिहार 800004
Email Id: ssp-patna-bih@nic.in

विषय: अनुसूचित जनजाति की 13 वर्षीय नाबालिग बालिका को वीनस एन्क्लेव अपार्टमेंट, बेली रोड, पटना में जबरन कामवाली / मनोरंजन का साधनबनाकर रखे जाने, मारलौज का दुर्व्यवहार किये जाने से बचाने के लिए विधिपूर्ण ग-पिटाई और गाली-कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोरंजन प्रसाद, वीनस एन्क्लेव अपार्टमेंट, मनोकामना मंदिर के समीप, विजय नगर, अम्बेडकर पथ, जगदेव पथ, बेली रोड, पटना (बिहारका अ (भ्यावेदन दिनांक निरंक पर कार्यवाही के सम्बन्ध में।
संदर्भ: आयोग का नोटिस दिनांक 22.11.2021 (प्रतिलिपि संलग्न)

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ. आशा लकड़ा, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण मे अन्वेषण / जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **28.06.2024 को 12.40** बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

भवदीय

(आर.के. दुबे / R.K. Dubey)
उप निदेशक/ Deputy Director
Email ID : rk.dubey@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्री राजीव रंजन प्रसाद,
वीनस एन्क्लेव अपार्टमेंट, मनोकामना मंदिर के
समीप, विजय नगर, अम्बेडकर पथ, जगदेव पथ,
बेली रोड, पटना, बिहार -800014